

## कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्रं./एफ-831/1/सा.प्र.वि./बि.वि.घ/2022/7

भिलाई, दिनांक 1/4/22

### // कार्यवाही विवरण //

नगर पालिक निगम, भिलाई में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में छ.ग. स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ एवं छ.ग. कर्मचारी कांग्रेस संघ की संयुक्त परामर्श दात्री समिति की बैठक दिनांक 23.10.2021 को सभागार में 11:00 बजे आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :-

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. श्री प्रकाश कुमार सर्वे | आयुक्त एवं अध्यक्ष                         |
| 2. श्री ए.के.द्विवेदी      | अपर आयुक्त एवं सदस्य सचिव/संयोजक           |
| 3. श्री जितेन्द्र ठाकुर    | लेखाधिकारी एवं सदस्य                       |
| 4. श्री रामवृक्ष यादव      | अध्यक्ष, छ.ग. स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ |
| संघ के अन्य चार सदस्य      |  |
| 5. श्री अरूण सिंह          | अध्यक्ष, छ.ग. कर्मचारी कांग्रेस संघ        |
| संघ के अन्य चार सदस्य      |  |

संयुक्त परामर्श दात्री समिति की बैठक दिनांक 18.03.2021 के जारी कार्यवाही विवरण क्रमांक 822 दिनांक 21.06.2021 के पालन प्रतिवेदन क्रमांक 1641 दिनांक 22.10.2021 में उल्लेखित मांग बिन्दुओं पर संघों के साथ चर्चा की गई। चर्चानुसार निम्नलिखित समस्याओं पर गहन विचार कर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

1. लंबित अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण का निपटारा अतिशीघ्र किया जावें। - नगर पालिक निगम, भिलाई के मृतक शासकीय सेवकों के लगभग लंबित 50 आवेदनों पर छानबीन समिति की बैठक दिनांक 22.02.2022 में की गई अनुशंसा अनुसार 22 आवेदकों को क्रमशः 10 भृत्य, 10 सहायक ग्रेड-03 एवं 02 स्वच्छता पर्यवेक्षक को अनुकम्पा नियुक्ति का आदेश जारी किया गया है। शेष आवेदक जो अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पात्र है किन्तु नियुक्ति हेतु नियमित पद उपलब्ध नहीं है उन्हें प्लेसमेंट पर रखे जाने हेतु जोन आयुक्तों को पत्र जारी किया गया है एवं क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग को अन्य निकायों में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु अग्रेषित किया गया है।

(कार्यवाही प्रक्रियाधीन)

2. शेष बचे हुए दैनिकवृत्ति, कार्यभारित, आकस्मिकता निधि कर्मचारियों के नियमितीकरण किया जावें। - पूर्वतत् अनुसार संयुक्त संचालक, संचालनालय के पत्र क्रमांक/स्था./एक/वि/1212/2021/6691 दिनांक 13.10.2021 के द्वारा दैनिकवृत्ति कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में जानकारी चाही गई है जिसकी जानकारी पत्र क्रं. 1600 दिनांक 18.10.2021 के द्वारा संयुक्त संचालक दुर्ग को प्रेषित की गई है।

(कार्यवाही प्रक्रियाधीन)

3. भविष्य निधि की राशि प्रतिमाह वेतन के साथ कर्मचारियों के खाते में जमा किया जावें। - भविष्य निधि की राशि प्रतिमाह वेतन के साथ कर्मचारियों के खाते में जमा किये जाने संबंधी संघ की मांग अनुसार निगम अधिकारी/ कर्मचारियों के भविष्य निधि राशि प्रतिमाह जमा हो रहा है।

(कार्यवाही प्रक्रियाधीन)

क्रमश.....

4. समयमान, वेतनमान एवं एरियर्स की राशि का भुगतान किया जावे (छ.ग. कर्मचारी कांग्रेस संघ के मांग पत्र बिन्दु क्रं. 8) – छ.ग. शासन द्वारा एरियर्स प्रदाय पर लगाये गये प्रतिबंध को हटा दिया गया है। जिसके अनुसार लंबित एरियर्स देयकों का भुगतान किये जाने हेतु प्रकरण लेखा शाखा को भेजे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(कार्यवाही प्रक्रियाधीन)

5. पूर्व की भांति निगम कर्मचारियों को सस्ते दर पर भूखण्ड आबंटित किया जावे (छ.ग. कर्मचारी कांग्रेस संघ के मांग पत्र बिन्दु क्रं. 14) – पूर्व की भांति निगम कर्मचारियों को सस्ते दर पर भूखण्ड आबंटित किये जाने की मांग पर निर्णय लिया गया है कि पूर्व में साडा कार्यकाल में अधिकारी/कर्मचारियों को भूखण्ड आबंटन किये जाने का प्रशासनिक शक्तियां प्राप्त थी जिसके तहत भूखण्ड आबंटन किया गया है। छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर के कार्यवाही विवरण दिनांक 11.03.2013 में सचिव एवं संचालक महोदय की अध्यक्षता में छ.ग. स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ की बैठक दिनांक 18.09.2013 में बिन्दु क्रमांक 04 में सस्ते दर पर आबंटन की मांग पर विचार किया गया है, कि प्रकरण का निराकरण निकाय स्तर पर किया जाना है तथा कार्यवाही पूर्ण दर्शित है। अतः नगर पालिक निगम, भिलाई को भूखण्ड आबंटन का अधिकार प्राप्त नही होने के कारण संघ की मांग को खारिज किया गया है।

(कार्यवाही पूर्ण)

6. सेवानिवृत्त कर्मचारियों में उपादान/अवकाश नगदीकरण की राशि का भुगतान किया जावे – सेवानिवृत्त कर्मचारियों में उपादान/अवकाश नगदीकरण की राशि का भुगतान लेखा शाखा द्वारा किया जा रहा है।

(कार्यवाही प्रक्रियाधीन)

7. पेंशन प्रकरण का शीघ्र निराकरण किया जावे। – नगर पालिक निगम, भिलाई से सेवानिवृत्त एवं मृतक अधिकारी/कर्मचारियों के पेंशन/परिवार पेंशन प्रकरण तैयार क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्ग के माध्यम से उप संचालक, पेंशन रायपुर को निरंतर प्रेषित किया जाता है। शासन स्तर पर पेंशन प्रकरणों का शीघ्र ही निराकरण किया जा रहा है।

(कार्यवाही प्रक्रियाधीन)

8. पदोन्नति सूची जारी किया जावे (छ.ग. कर्मचारी कांग्रेस संघ के मांग पत्र बिन्दु क्रं. 5 एवं 6) (स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ के मांग अनुसार बिन्दु क्रमांक 02)– स्वीकृत पदसंरचना एवं भर्ती नियम में उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत पात्रताधारी लिपिकीय, राजस्व एवं स्वच्छता संबंधी पदों पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों का पदोन्नति आदेश जारी कर दिया गया है। अभियंताओं के पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। भर्ती नियम 2018 में जिन पदों का पदोन्नति चैनल निर्धारित नही है शिथिलीकरण हेतु शासन को पत्र लिखा गया है। समकक्षीय पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही किये जाने पर निर्धारित पदों की पदोन्नति प्रक्रिया प्रभावित होगा।

(कार्यवाही प्रक्रियाधीन)

9. निगम कर्मचारियों को बी.एस.पी. आवासगृह आबंटन किया जावे। – कार्यालयीन पत्र क्रमांक 936 दिनांक 05.07.2021 द्वारा बी.एस.पी. को पत्र लिखा गया है। उच्च स्तर पर बी.एस.पी. प्रबंधन एवं निगम प्रशासन द्वारा बी.एस.पी. आवासगृह आबंटन हेतु चर्चा किये जाने के पश्चात् कार्यवाही की जावेगी।

(कार्यवाही प्रक्रियाधीन)

10. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी एवं सिलाई की राशि प्रदान किया जावे (छ.ग. कर्मचारी कांग्रेस संघ के मांग पत्र बिन्दु क्रं. 13)– वर्दीधारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सूची का परीक्षण कर स्टेशनरी विभाग भेज दिया गया है।

(कार्यवाही प्रक्रियाधीन)

क्रमश.....

11. कर्मचारी आवासगृह आबंटन समिति में कर्मचारी संघ के एक पदाधिकारी को शामिल किया जावे ।  
—आवासगृह आबंटन समिति में कर्मचारी संघ के एक पदाधिकारी को शामिल किये जाने की प्रांग पर विचार करते हुए कार्यालयीन आदेश क्रमांक 778 दिनांक 15.08.2021 द्वारा समिति का गठन किया गया है जिसके संघ के प्रतिनिधि शामिल हैं।  
(कार्यवाही पूर्ण)
12. दैनिकवृत्ति में कार्यरत कर्मचारियों की उपस्थिति सन्नामापली एवं वेतन भुगतान की प्रक्रिया एक ही विभाग से संचालित किया जावे । —राजस्व विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है।  
(कार्यवाही पूर्ण)
13. पूर्व की भांति परामर्शदात्री समिति की बैठक प्रत्येक दो माह में सम्पन्न किया जावे — समयानुसार परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित होती है।  
(कार्यवाही पूर्ण)
14. अनावश्यक फिजूल खर्चों पर रोक लगाया जावे — प्रशासनिक आवश्यकताओं पर निर्भर करता है।  
(कार्यवाही पूर्ण)
15. सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की देनदारी जिसमें अर्जित अवकाश नगदीकरण, समूह बीमा, परिवार कल्याण, ग्रेज्युटी (उपादान की राशि) तथा पेंशन (171 कर्मचारियों की सूची है जो कि उपादान राशि दैनिकवृत्ति से नियमित हुए कर्मचारियों की है आज पर्यन्त तक भुगतान नहीं हुआ है प्रशासक महोदय ने अपनी ओर से हस्ताक्षरित पत्र स्वीकृति हेतु शासन को भेजने कहा था जिसकी जानकारी हमें नहीं है) — उपरोक्त संबंध में संचित निधि से भुगतान किये जाने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक 423 दिनांक 19.03.2021 के द्वारा पत्र लिखा गया है शेष अधिकारी/कर्मचारियों को भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।  
(कार्यवाही प्रक्रियाधीन)
16. पदोन्नति के लिए चैनल नहीं होने के कारण ग्रेड अनुसार पदोन्नति दिलाने की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु जिसमें प्रोग्रामर, तकनीकी सहायक, सर्वेयर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, पम्प अटेंडेंट, पम्प ऑपरेटर, पम्प सहायक आदि पदों का पदोन्नति चैनल नहीं है। अतः इन्हें इन्ही पदों पर ग्रेड-3, 2,1 आदि पर करते हुए ग्रेड पें. बढ़ोतरी को शासन से स्वीकृति हेतु पत्राचार आवश्यक है। — कार्यालयीन पत्र क्रमांक दिनांक के द्वारा प्रशासक महोदय की स्वीकृति उपरान्त उपरोक्त संबंध में छ.ग. शासन को पत्र लिखा गया है।  
(कार्यवाही पूर्ण)
17. कार्यभारित कर्मचारियों में से 34 कर्मचारियों का कार्यभारित सेवा को पेंशन के लिए नहीं जोड़ा गया है जिसे जोड़कर पुनः पेंशन निर्धारण कराने की कृपा करेंगे—सेवानिवृत्त/मृतक कर्मचारी जिनका कार्यभारित सेवा को पेंशन के लिए नहीं जोड़ा गया था उसे जोड़कर पेंशन स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दिया गया है।  
(कार्यवाही पूर्ण)
18. 14 अधिकारियों/कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति राशि भुगतान हेतु बिल लंबित है जिसे भुगतान कराने की असीम अनुकम्पा करेंगे — निर्धारित समयावधि में प्राप्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों के भुगतान की कार्यवाही हेतु लेखाशाखा प्रेषित किया जाता है वर्तमान प्रतिपूर्ति के प्रकरण लंबित नहीं हैं।  
(कार्यवाही पूर्ण)
19. सेवा में स्थायी सेवा का सदस्य घोषित करने का आदेश जारी करने बाबत। — कार्यालयीन आदेश क्रमांक 683 दिनांक 01.06.2021 के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।  
(कार्यवाही पूर्ण)  
क्रमश.....

20. संघ के पूर्व अध्यक्ष वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष श्री पवन मिश्रा का एक माह का वेतन अर्जित अवकाश स्वीकृत होने के उपरान्त भुगतान नहीं किया गया है जिसे भुगतान कराने की कृपा करेंगे – तात्कालीन आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत संबंधित का अवकाश स्वीकृत कर शेष दिनों का अवैतनिक किया गया है। अतः मांग नियमानुसार अमान्य है।  
(कार्यवाही पूर्ण)
21. रिक्त पदों पर सीधी भर्ती शासन से अनुमति प्राप्त करने की कृपा करेंगे – आवश्यक पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही की गई है।  
(कार्यवाही पूर्ण)
22. महापौर कक्ष के बगल में एक कमरा रिक्त है जिसे संघ के सदस्यों को बैठने की अनुमति हेतु भवन संधारण शाखा को निर्देशित करने बाबत – मुख्य कार्यालय के अतिरिक्त अन्यत्र व्यवस्था की गई है।  
(कार्यवाही पूर्ण)
23. वरिष्ठ लिपिकीय पदों पर कार्यरतों के साथ सहायक ग्रेड-03 के कर्मचारी संलग्न करने हेतु ताकि सेवा निवृत्ति उपरान्त संविदा नियुक्ति न करना पड़े कनिष्ठ कर्मचारी पूर्ण रूप से कार्य सीख जावेंगे। (स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ के मांग अनुसार बिन्दु क्रमांक 09) – कार्यालयीन व्यवस्था के अंतर्गत विभाग प्रमुखों को इस आशय का परिपत्र जारी किया जाना है, कि विभाग में महत्वपूर्ण कार्यों में संलग्न ऐसे कर्मचारी जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं उनके कार्यों में सहयोग हेतु विभाग में पदस्थ कर्मचारी को संलग्न कर कार्य निष्पादित कराया जायें तथा समय-समय पर आवश्यकतानुसार अनुकम्पा नियुक्त कर्मचारियों की पदस्थापना की जाती है।  
(कार्यवाही प्रक्रियाधीन)
24. चर्चा के दौरान निगम भिलाई के ऐसे कर्मचारी जिनके द्वारा एल.एस.जी.डी डिप्लोमा कोर्स की विभागीय अनुमति प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण की गई है उनके वेतनवृद्धि पात्रता की नस्ती शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाना है। – निगम भिलाई के ऐसे पात्र कर्मचारी जिनके द्वारा एल.एस.जी.डी. डिप्लोमा कोर्स की विभागीय अनुमति प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण की गई है उनको वेतनवृद्धि का लाभ दिया जा रहा है।  
(कार्यवाही पूर्ण)
25. चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के लिए विभागीय वाहन का आबंटन किया जाना है जिसका उपयोग सी.पी.एफ.,पेंशन, लेखा शाखा एवं जनसूचना विभाग द्वारा भी किया जा सकेगा। – चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के लिए विभागीय वाहन का आबंटन किया जाना है जिसका उपयोग सी.पी.एफ.,पेंशन, लेखा शाखा एवं जनसूचना विभाग द्वारा भी किया जा सकेगा।  
(कार्यवाही पूर्ण)

अपर आयुक्त  
नगर पालिक निगम  
भिलाई

भिलाई, दिनांक 1/4/22

पृ.क्र./एफ-837/1/सा.प्र.वि./विविध/2022/08

प्रतिलिपि :-

1. महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. अधीक्षण अभियंता, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त-1/2, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।

क्रमश.....

5. अधीक्षक, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. सहायक अधीक्षक, भविष्य निधि नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. अध्यक्ष, छ.ग. स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
8. अध्यक्ष, छ.ग. कर्मचारी कांग्रेस संघ, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
9. प्रभारी स्थापना लिपिक, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. प्रभारी लिपिक डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाईट में अपलोड हेतु।

अपर आयुक्त  
नगर पालिक निगम  
& भिलाई